सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः- 31/प्रेसनोट/2021 **16 जनवरी 2021**

<u>प्रेस-विज्ञप्ति</u>

<u>थाना मेहनगर</u>

<u>मारपीट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार</u>

दिनांक 21.11.2020 को श्री जितेन्द्र चौहान पुत्र छतिश चौहान सा0 तिलमापुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ थाना मेहनगर पर शिकायत दर्ज करायी कि अभियुक्तगण द्वारा छठ पर्व कार्यक्रम तिलमापुर ताल से वापस आते समय जमीन संबंधी मुकदमा बाजी की रंजिश को लेकर बृजेश के सीने में चाकू मारने लगे जिसमें बीच-बचाव हेतु आये रवि, विश्वजीत,सुनील को भी चाकू मारना व लाठी डण्डा,लात घूसा से मारना पीटना जिससे सुनील के बेहोश हो जाने के संबंध मे मु0अ0सं0 192/20 धारा 147/323/324/308/504/506 भादवि बनाम 1. प्रदीप 2. विजय बहादुर चौहान पुत्र गण बृजभान चौहान 3. प्रहलाद चौहान पुत्र विक्रम चौहान 4. लालचन्द्र पुत्र विशेषर चौहान 5. मोहन पुत्र सुदर्शन 6. बृजभान पुत्र अमृत चौहान निवासी तिलमापुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ के पंजीकृत किया गया था ।

जिसमे अभियुक्त 1. प्रदीप 2. विजय बहादुर चौहान पुत्रगण बृजभान चौहान 3. प्रहलाद चौहान पुत्र विक्रम चौहान को गिरफ्तार कर दिनांक 14.12.2020 को जेल भेजा जा चुका है।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण तथा वांछित/वारंटी/ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत मु0अ0सं0 192/20 धारा 147/323/324/308/504/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उ0नि0 पंकज यादव मय हमराह हे0का0 अशोक सिंह के क्षेत्र मे मामूर थे कि जरिये मुखबीर खास के सूचना मिली की मु0अ0सं0 192/20 धारा 147/323/324/308/504/506 भादवि मे वांछित अभियुक्त वाराणसी जाने की फिराक मे सेर्रा पुलिया पर खड़ा है कि सूचना पर विश्वास करके मय मुखबीर के प्रस्थान कर सेर्रा पुलिया पर पहुचे तो मुखबीर खास ने दूर से इशारे से बताया कि जो व्यक्ति पुलिया पर खड़ा है वही व्यक्ति है। कि पलिस टीम पुलिया पर पहुच कर खड़े व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम मोहन चौहान पुत्र सुर्दशन चौहान सा0 तिलमापुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ बताया। जामा तलाशी ली गयी तो पैन्ट से दाहिने जेब से एक अदद घटना मे प्रयुक्त नाजायज चाकू बरामद हुआ। बरामद चाकू को कब्जा पुलिस मे लिया गया तथा पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता तस्दीक कर जुर्म से अवगत कराते हुए समय करीब 9.05 बजे सुबह हिरासत पुलिस मे लिया गया । अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

<u>पंजीकृत अभियोग</u>-

मु0अ0सं0 192/20 धारा 147/323/324/308/504/506 भा0द0वि0

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>–

मोहन चौहान पुत्र सुर्दशन चौहान सा0 तिलमापुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

<u>बरामदगी</u>-

एक अदद नाजायज चाकू बरामद

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>-

उ0नि0 पंकज यादव ,हे0का0 अशोक सिंह

थाना बरदह

दो नफर वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण तथा वांछित/वारंटी/ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत आज दिनांक 16.01.2021 को प्रभारी निरीक्षक बरदह विनोद कुमार मय हमराह के माननीय न्यायालय द्वारा जारी एनबीडब्लू क्रिमिनल मिस न0 14/2018 धारा 344 द0प्र0स0 से सम्बन्धित वारण्टी 1. अर्जून सरोज पुत्र रामजीत सरोज ग्राम जिन्दोपुर थाना बरदह आजमगढ को उसके घर सं समय 7.30 बजे NBW से अवगत कर गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात SPL 27/15 धारा 8/20 एनडीपीएस अ0स0 145/15 से सम्बन्धित वारण्टी जियालाल उर्फ साधू पुत्र रामदेव मुसहर ग्राम जमुआंवा थाना बरदह आजमगढ के घर पहुचा तो वारण्टी अपने घर पर मौजूद मिला जिसको वारण्ट के बारे मे अवगत कराते हुये समय करीब 8.20 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। वारण्टियो को हिरासत पुलिस मे लेकर माननीय न्यायाल प्रस्तुत किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार वांरटी

1. अर्जून सरोज पुत्र रामजीत सरोज ग्राम जिन्दोपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ ।
2. जियालाल उर्फ साधू पुत्र रामदेव मुसहर ग्राम जमुआंवा थाना बरदह जनपद आजमगढ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मय हमराह का0 देवेश यादव का0 विपिन सिंह का0 कृष्णचन्द्र म0का0 पारुल मिश्रा थाना बरदह जनपद आजमगढ

थाना- जीयनपुर

02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 20.04.15 को वादी श्री उदयभान पुत्र रूपई निवासी देवकली थाना गोला जनपद गोरखपुर द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र में अभियुक्तगणो द्वारा फर्जी व कूटरचित करना तथा असली के रूप में खतौनी पर प्रार्थी के पिता का नाम खारिज करवा कर अपना नाम दर्ज कराने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिए थे प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 114/15 धारा 419/420/467/468/471 IPC पंजीकृत किया गया था। विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में अंतिम रिपोर्ट संख्या 12/16 दिनांक 15.2.16 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था। उक्त अंतिम रिपोर्ट को माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं0 11 आजमगढ़ द्वारा दिनांक 27.09.2019 को निरस्त करते हुये पुनः विवेचना हेतु प्रभारी निरीक्षक जीयनपुर को आदेशित किया गया कि प्रस्तुत मामले की अग्रेतर विवेचना करना सुनिश्चित करें। माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में उक्त अभियोग की पुनः विवेचना की गयी।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण तथा वांछित/वारंटी/ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत आज दिनांक 16.01.2021 को थानाध्यक्ष जीयनपुर के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 अमरनाथ यादव मय हमराह के थाना से रवाना होकर रात्रि गस्त तथा चेकिंग ड्यूटी , तलाश वांछित अभियुक्त करते हुये अभियुक्तगण राजकुमार यादव तथा अशोक कुमार यादव के घर पर दबिश दी गयी जो मु0अ0सं0 114/15 धारा 419/420/467/468/471 IPC में वांछित चल

रहे हैं। अभियुक्तगण अपने घर पर दरवाजे पर मिले जिन्हे कारण गिरफ्तारी बताकर सुबह 7.30 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 114/15 धारा 419/420/467/468/471 IPC थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. राजकुमार यादव पुत्र स्व0 कोमल यादव निवासी देवारा खास राजा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. अशोक कुमार यादव पुत्रगण स्व0 कोमल यादव निवासी देवारा खास राजा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक नन्द कुमार तिवारी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 अमरनाथ यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. हे0का0 सुरेश सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
4. का0 संजय गौड़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल 21 व्यक्तियों के विरूद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।